अनुदान संख्या 83 – सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
GRANT No. 83 - MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	21619,82,00	21619,84,00	18298,73,37	-3321,10,63
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2317,18,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged -*		*10,00,00*	..	*-10,00,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*8,00,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	142819,16,00	144986,82,00	133862,61,75	-11124,20,25
पूरक	Supplementary	2167,66,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				10187,82,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	15458.00			
			15529.00	13774.32	-1754.68
पु.	R.	71.00			
मुख्य शीर्ष "3054"	Major Head "3054"				
सड़क तथा पुल	Roads and Bridges				
मू.	O.	624988.00			
			424988.00	381283.86	-43704.14
पु.	R.	-200000.00			
मुख्य शीर्ष "3055"	Major Head "3055"				
सड़क परिवहन	Road Transport				
मू.	O.	43936.00			
पू.	S.	1.00	32912.00	20662.49	-12249.51
पु.	R.	-11025.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को अनुदान सहायता	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1461600.00			
			1413266.00	1387019.70	-26246.30
पु.	R.	-48334.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “3602”	Major Head “3602”				
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	16000.00			
पू.	S.	1.00	43571.00	27133.00	-16438.00
पु.	R.	27570.00			

(I) ₹14306.04 लाख का प्रावधान पाँच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹14199.04 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹14306.04 lakhs remained wholly unutilized under five heads; of these ₹14199.04 lakhs accounted for under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष “3601” – “राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि से अनुदान – गुणवत्ता जागरुकता में राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण” – ₹7400.00 लाख – जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन किए जाने तथा विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कार्यों के लिए परिणामस्वरूप प्रावधान के कारण ।

(A) Major Head “3601” - “Other Transfer/ Grants to States - Grants from Central Road Infrastructure Fund - Quality Assurance, Research, Development and Training for State Government officials in quality awareness” - ₹7400.00 lakhs - due to bifurcation of State of J & K into two UTs and consequent provisioning for works under different major heads.

(खा) मुख्य शीर्ष “3602” – “विधानमंडल वाले संघ राज्य सरकार को अन्य अंतरण/अनुदान – केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि से अनुदान” –

(B) Major Head “3602” - “Other Transfer/ Grants to Union Territory Government with Legislatures - Grants from Central Road Infrastructure Fund” -

(क) “दिल्ली में सड़क” – ₹5999.04 लाख – संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति नहीं होने के कारण।

(a) “Roads in Delhi” - ₹5999.04 lakhs - due to non-receipt of Utilization Certificates from the UT Administration.

(ख) “गुणवत्ता जागरुकता में विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधिकारियों के लिए गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण” –

(b) “Quality Assurance, Research, Development and Training for Union Territory Government with legislatures

₹800.00 लाख – गुणवत्ता आश्वासन के शीर्ष के उन्मूलन के कारण।

officials in quality awareness" - ₹800.00 lakhs - due to abolition of head of quality assurance.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय" – ₹1683.68 लाख की बचत (₹15458.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और कम छुट्टी यात्रा रियायत दावों के कारण।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Road Transport and Highways" - saving of ₹1683.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15458.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less leave travel concession claims.

(III) मुख्य शीर्ष "3054" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(III) Under Major Head "3054" - savings occurred under the following heads: -

(का) "राष्ट्रीय राजमार्ग – सड़क निर्माण कार्य"–

(A) "National Highways - Road Works" -

(क) "अनुरक्षण" – ₹138416.76 लाख की बचत (₹300000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य को पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(a) "Maintenance" - saving of ₹138416.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300000.00 lakhs) was due to non-completion of work.

(ख) "केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि से वित्तपोषित स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)" – ₹4304.11 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने और कोविड–19 महामारी की वजह से राज्य सरकारों को कम निधियों के जारी होने और अनुवर्ती लॉकडाउन होने के कारण हुई।

(b) "Swachhta Action Plan (SAP) financed from Central Road Infrastructure Fund" - saving of ₹4304.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to requirement of less funds by National Highways Authority of India and National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited and release of less funds to State Governments owing to COVID-19 pandemic and subsequent lockdown.

(खा) "सामान्य" –

(B) "General" -

(क) "अनुसंधान और विकास – राजमार्ग अनुसंधान" – ₹976.27 लाख की बचत (₹3928.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी और अनुवर्ती लॉकडाउन की वजह से मार्च के अंतिम सप्ताह में बिलों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

(a) "Research and Development - Highway Research" - saving of ₹976.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3928.00 lakhs) was due to receipt of less bills in the last week of March owing to COVID-19 pandemic and subsequent lockdown.

(ख) “आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि को अंतरण के लिए एकमुश्त अनुदान” – ₹100000.00 लाख की बचत (₹310007.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी एवं अनुवर्ती लॉकडाउन की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(b) “Transfers to Reserve Funds/Deposits A/cs - Block Grant for Transfer to Central Road Infrastructure Fund” - saving of ₹100000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹310007.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to COVID-19 pandemic and subsequent lockdown

(IV) मुख्य शीर्ष “3055” – “अनुसंधान” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(IV) Under Major Head “3055” - “Research” - savings occurred under the following heads: -

(का) “सड़क सुरक्षा” – ₹8373.29 लाख की बचत (₹13000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सड़क सुरक्षा अभियानों के आयोजन नहीं होने, उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति नहीं होने, प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा बिलों की प्रस्तुति नहीं किए जाने और राज्य सरकारों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) “Road Safety” - saving of ₹8373.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13000.00 lakhs) was due to non-holding of road safety campaigns, non-receipt of utilization certificates, non-submission of bills by training institutes and less demand from State Governments.

(खा) “निरीक्षण और अनुरक्षण केन्द्र” – ₹691.33 लाख की बचत (₹2200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने की वजह से राज्य सरकारों को कम अग्रिम जारी किए जाने के कारण हुई।

(B) “Inspection and Maintenance Centre” - saving of ₹691.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2200.00 lakhs) was due to less release of mobilization advance to State Governments owing to non-receipt of utilization certificates.

(गा) “सार्वजनिक परिवहन का सुधार और सुदृढ़ीकरण” – ₹8760.00 लाख की बचत (₹8900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्रस्तावों की प्राप्ति में विलंब होने और बस पोर्ट के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(C) “Improving and Strengthening of Public Transport” - saving of ₹8760.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8900.00 lakhs) was due to delay in receipt of proposals from State/UTs and non-finalization of detailed project report of Bus Ports.

(घा) “सार्वजनिक सड़क परिवहन पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्कीम” – ₹10793.60 लाख की बचत (₹17436.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्भया निधि के अंतर्गत कुछ राज्यों द्वारा एआईएस 140 विनिर्देश सहित सुरक्षा और प्रवर्तन के लिए वाहन ट्रेकिंग प्लेटफार्म के कार्यान्वयन न होने के कारण हुई।

(D) “Scheme for Safety of Women on Public Road Transport” - saving of ₹10793.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17436.00 lakhs) was due to non-implementation of vehicle tracking platform for safety and enforcement with AIS 140 specification by some States under Nirbhaya fund.

(V) मुख्य शीर्ष “3601” – “राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(V) Under Major Head “3601” - “Other Transfer/Grants to States” - savings occurred under the following heads: -

(का) “केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि से अनुदान – राज्य सड़क को अनुदान” – ₹43013.30 लाख की बचत (₹723400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जम्मू एवं कश्मीर राज्य का दो संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन होने और विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत परिणामस्वरूप प्रावधान होने और कोविड–19 महामारी और अनुवर्ती लॉकडाउन किए जाने की वजह से राज्य सरकारों को कम निधियां जारी किए जाने के कारण हुई।

(A) “Grants from Central Road Infrastructure Fund - Grants to State Roads” - saving of ₹43013.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹723400.00 lakhs) was due to bifurcation of State of J & K into two UTs and consequent provisioning for works under different major heads and release of less funds to State Governments owing to COVID-19 pandemic and subsequent lockdown.

(खा) “आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि को अंतरण के लिए एकमुश्त अनुदान” – ₹24167.00 लाख की बचत (₹730800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जम्मू एवं कश्मीर राज्य का दो संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन होने, विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कार्यों के लिए परिणास्वरूप प्रावधान होने के कारण हुई।

(B) “Transfers to Reserve Funds/Deposits A/cs - Block Grant for Transfer to Central Road Infrastructure Fund” - saving of ₹24167.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹730800.00 lakhs) was due to bifurcation of State of J & K into two UTs and consequent provisioning for works under different major heads.

(VI) मुख्य शीर्ष “3602” – “विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान – केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि से अनुदान – पुदुचेरी में सड़कें” – ₹800.96 लाख की बचत (₹1200.96 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head “3602” - “Other Transfer/Grants to Union Territory Governments with Legislatures - Grants from Central Road Infrastructure Fund - Roads in Puducherry” - saving of ₹800.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.96 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates from the UT Administration.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹33070.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मार्च, 2020 में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :–

2.(I) The above savings were partly (₹33070.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of ₹2.00 lakhs in March, 2020 under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष “3055” – “अनुसंधान – राष्ट्रीय डेटा बेस नेटवर्क” – ₹5500.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹5443.71 लाख था।

(A) Major Head “3055” - “Research - National Data Base Network” - ₹5500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5443.71 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष “3602” – “विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान” –

(B) Major Head “3602” - “Other Transfer/Grants to Union Territory Governments with Legislatures” -

(क) “केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि से अनुदान – जम्मू और कश्मीर में सड़कें” – ₹13785.00 लाख।

(a) “Grants from Central Road Infrastructure Fund - Roads in Jammu and Kashmir” -

वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹4947.50 लाख था।

₹13785.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4947.50 lakhs.

(ख) "आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि के लिए एकमुश्त अनुदान" – ₹13785.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹13784.50 लाख था।

(b) "Transfers to Reserve Funds/Deposits A/cs - Block Grant for Transfer to Central Road Infrastructure Fund" - ₹13785.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹13784.50 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major head: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total Appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "5054" सड़क और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	*O.*	*1000.00*			
			200.00	..	*-200.00*
पु.	*R.*	*-800.00*			

(I) ₹ *1000.00 लाख* का प्रावधान "राष्ट्रीय राजमार्ग–सड़क निर्माण कार्य – सड़क स्कंध के अंतर्गत" एक शीर्ष में सरकार/मध्यस्थता/न्यायाधिकरण से डिक्री/अवार्ड के लिए किसी आदेश की प्राप्ति न होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹ *1000.00* lakhs remained wholly unutilised in one head under "National Highways - Road Works - Works under Roads Wing" - due to non-receipt of any order for decree/award from Government/Arbitration/Tribunal.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹1112420.25 लाख) नवंबर, 2019 और मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹216766.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गई जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 8 प्रतिशत थीं।

4. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (₹1112420.25 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹216766.00 lakhs obtained in November, 2019 and March, 2020 and constituted 8 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas					
मू.	O.	607000.00				
पू.	S.	1.00		1.00	..	-1.00
पु.	R.	-607000.00				
मुख्य शीर्ष "5054" सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges					
मू.	O.	13671916.00				
पू.	S.	216765.00		13477999.00	13385232.26	-92766.74
पु.	R.	-410682.00				
मुख्य शीर्ष "5055" सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5055" Capital Outlay on Road Transport					
मू.	O.	3000.00				
				1900.00	1029.49	-870.51
पु.	R.	-1100.00				

(I) ₹607001.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) मुख्य शीर्ष "4552" – "राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़क तथा सेतु) – सड़क निर्माण कार्य" के अंतर्गत दो शीर्षों के तहत पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रहा :–

(I) Provision of ₹607001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilised under two heads under Major Head "4552" - "National Highways (Road & Bridges) - Road Works" -

(का) "सड़क स्कंध के अंतर्गत सड़क विकास कार्य और राष्ट्रीय निवेश निधि से वित्तपोषित सीमा सड़क विकास बोर्ड" – ₹85001.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(A) "Roads Development Works under Road Wing and Border Road Development Board financed from National Investment Fund" - ₹85001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(खा) "पूर्वोत्तर क्षेत्रों में राष्ट्रीय निवेश निधि से वित्तपोषित विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम" – ₹522000.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "5054" – "राष्ट्रीय राजमार्ग–सड़क निर्माण कार्य – केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि से वित्तपोषित बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकार" – ₹3358.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹6382.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹9740.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹8609.00 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – दमन तथा दीव एवं दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों का विलय होने और भारतीय रिजर्व बैंक के पास संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लिए अलग लेखे की उपलब्धता नहीं होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "5054" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "राष्ट्रीय राजमार्ग" –

(क) "स्थाई सेतु – राष्ट्रीय राजमार्ग स्थाई सेतु शुल्क निधि से वित्तपोषित कार्य" – ₹4679.55 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार पर कम पथकर संग्रह होने की वजह से नई परियोजना को स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई।

(ख) "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" – ₹535816.30 लाख की बचत (₹3669100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आरक्षित मूल्य के संबंध में बोली लगाने की दर कम होने के कारण और मार्च, 2020 के अंतिम सप्ताह में लॉकडाउन की वजह से क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बिलों के प्रस्तुतीकरण न

(B) "Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas financed from National Investment Fund" - ₹522000.00 lakhs.

Provision under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "5054" - "National Highways - Road Works - Union Territory Governments without legislatures financed from Central Road Infrastructure Fund" - the original provision of ₹3358.00 lakhs was augmented to ₹9740.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹6382.00 lakhs. However, there was a saving of ₹8609.00 lakhs (including supplementary grant) - due to merger of UTs of Daman and Diu and Dadar and Nagar Haveli and non-availability of separate account for UT of Ladakh with RBI.

(III) Under Major Head "5054" - savings occurred under the following heads: -

(A) "National Highways" -

(a) "Permanent Bridges - Works financed from National Highways Permanent Bridges Fees Fund" - saving of ₹4679.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to non- sanctioning of new project owing to less toll collection on National Highways stretch of States.

(b) "Investments in Public Sector and other Undertakings - National Highways Authority of India" - saving of ₹535816.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3669100.00 lakhs) was due to lower rate of bidding with respect to Reserve Price and non-presentation of bills by regional offices

किए जाने के कारण हुई।

(ग) "सड़क निर्माण कार्य" –

(i) "सड़क स्कंध के अंतर्गत निर्माण कार्य" – ₹18219.92 लाख की बचत (₹132800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ii) "केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि से वित्तपोषित स्कीमों से संबंधित अन्य राजमार्ग" – ₹105967.33 लाख की बचत (₹245100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निश्चित परियोजनाओं पर कार्य की धीमी प्रगति होने और रांची–विजयवाड़ा सड़क परियोजना के पूरा न होने के कारण हुई।

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – वामपंथी अतिवादी प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क विकास के लिए विशेष कार्यक्रम (राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य सड़कें) के विकास हेतु विशेष कार्यक्रम" – ₹49019.21 लाख की बचत (₹71000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) झारखंड और छत्तीसगढ़ में चालू कार्यों के धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(खा) "सामान्य – आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – राष्ट्रीय राजमार्ग निधि मुद्रीकरण को अंतरण" – ₹500000.00 लाख की बचत (₹1000000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आरक्षित मूल्य के संबंध में बोली लगाने की दर कम होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "5055" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "कार्यशाला सुविधा – केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि से वित्तपोषित निरीक्षण तथा अनुरक्षण केन्द्र" –

owing to lockdown in the last week of March, 2020.

(c) "Road Works" -

(i) "Works under Road Wing" - saving of ₹18219.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹132800.00 lakhs) was due to slow progress of works on National Highway Projects.

(ii) "Other Highways related schemes financed from Central Road Infrastructure Fund" - saving of ₹105967.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹245100.00 lakhs) was due to slow progress of work on certain projects and non-completion of Ranchi - Vijayawada Road Project.

(d) "Tribal Area Sub-Plan - Special Programme for Development of Road connectivity (NH and State Roads) in Left Wing Extremist Affected Areas" - saving of ₹49019.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹71000.00 lakhs) was due to slow progress of ongoing works in Jharkhand and Chhattisgarh.

(B) "General - Transfer to Reserve Funds/ Deposits A/cs - Transfer to Monetization of National Highways Fund" - saving of ₹500000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000000.00 lakhs) was due to lower rate of bidding with respect to reserve price.

(IV) Under Major Head "5055" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Workshop Facilities - Inspection and Maintenance Centre financed from Central Road

₹1270.51 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(खा) "आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – केन्द्रीय सड़क अवसंचरना निधि को अंतरण के लिए एकमुश्त अनुदान" – ₹700.00 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड 19 महामारी और अनुवर्ती लॉकडाउन की वजह से आईएनसी मध्य लखनऊ और कटक में उपकरणों की आपूर्ति के लिए बिलों का भुगतान नहीं किए जाने के कारण हुई।

5.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹743500.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "5054" – "राष्ट्रीय राजमार्ग – सड़क निर्माण कार्य" के अंतर्गत ₹216766.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था–

(का) "राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य" – ₹138200.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹119571.67 लाख था।

(खा) "पूर्वोत्तर क्षेत्रों में राष्ट्रीय निवेश निधि से वित्तपोषित विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम" – ₹605300.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹598590.90 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "5054" – "सामान्य – आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि को अंतरण" – ₹700.00 लाख का अधिक व्यय (₹110382.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹2904840.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक निधियों के अंतरण होने के कारण हुईं।

6. केंद्रीय सड़क निधि :–

इस निधि का वित्तपोषण कर लगाए गए मोटर स्पिरिट (विमानन स्पिरिट को छोड़कर) पर लगाए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क से प्राप्त आय के एक भाग

Infrastructure Fund" - saving of ₹1270.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments.

(B) "Transfer to Reserve Funds/Deposits A/cs - Block Grant for Transfer to Central Road Infrastructure Fund" - saving of ₹700.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to non-payment of bills for supply of equipment at INC Central Lucknow and Cuttack owing to COVID-19 pandemic and subsequent lockdown.

5.(I) The above saving were partly (₹743500.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹216766.00 lakhs under Major Head "5054" - "National Highway - Road Works" -

(A) "National Highway Original Works" - ₹138200.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹119571.67 lakhs.

(B) "Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas financed from National Investment Fund" - ₹605300.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹598590.90 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "5054" - "General - Transfer to Reserve Funds/Deposits A/cs - Transfer to Central Road Infrastructure Fund" - excess of ₹700.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2904840.00 lakhs including supplementary grant of ₹110382.00 lakhs) was due to more transfer of funds.

6. Central Road Fund:-

The fund is financed from part (3.5 paise per liter) of the proceeds of Union Excise and Customs Duties levied on taxed motor spirit (other than

(3.5 पैसे प्रति लीटर) द्वारा किया जाता है जिसे संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों के रूप में भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है। 2000–2001 के बजट प्रावधान के अनुसार सड़कों के विकास और रख–रखाव के लिए 2 जून, 1998 से पेट्रोल पर और 1 मार्च, 1999 से हाई स्पीड डीजल पर ₹1/– प्रति लीटर का अतिरिक्त कर लगाया जा रहा है। यह अतिरिक्त निधि पुनःसंशोधित केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार केंद्रीय सड़क निधि को अंतरित की जाती है और इस निधि के संकल्प के अनुसार संसद द्वारा स्वीकृत अनुदान में से सड़कों के विकास और अनुसंधान स्कीमों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जारी की जाती है।

aviation spirit) credited to the Consolidated Fund of India by way of grants voted by Parliament. As per the budgetary provisions of 2000-2001 an additional tax of ₹1/- per liter has been levied on Petrol with effect from 2nd June, 1998 and High Speed Diesels with effect from 1st March, 1999 for the development and maintenance of roads. This additional fund is transferred to Central Road Fund in accordance with revamped Central Road Fund Act, 2000 and releases are made from the Fund to State Governments and Administration of Union Territories for development of roads and research schemes out of grant voted by Parliament in accordance with the resolution of this Fund.

वर्ष 2019–2020 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:–

The Account of the Fund for 2019-20 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	1110,91,84
प्राप्तियां	Receipts	90252,40,13
अदायगियां	Payments	87990,37,49
अंतशेष	Closing Balance	3372,94,48

7. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि:–

ये शुल्क राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने ऐसे स्थायी पुलों जिनकी प्रत्येक की लागत ₹25.00 लाख से अधिक और ₹100.00 लाख तक है और जो 1 अप्रैल, 1976 को या उसके बाद परन्तु मार्च, 1992 की पहली तारीख से पहले यातायात के लिए खोल दिए गए थे, का उपयोग करने वाले यंत्रचालित वाहनों पर लगाए जाते हैं और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने ₹100.00 लाख से अधिक की लागत वाले सभी पुलों पर लगाए जाने वाले शुल्क के संग्रहण के लिए अलग से अधिसूचित किए जाएंगे। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा उगाहे गए शुल्कों से होने वाली आय पहले भारत की समेकित निधि में जमा कर दी जाती है। इन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों में से भारत के लोक लेखे में

7. National Highways Permanent Bridges Fees Fund:-

The fees are levied on mechanically propelled vehicles using permanent bridges on National Highways which cost more than ₹25.00 lakhs and upto ₹100.00 lakhs for each and were built and opened to traffic on or after 1st April, 1976 but before the first day of March, 1992 and thereafter all the bridges costing more than ₹100.00 lakhs on National Highways, shall be notified separately for levy of fee collection. The proceeds from the fees which are collected in the States and Union Territories Governments are initially credited to the Consolidated Fund of India. These are transferred to the

"राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि" को अंतरित कर दिया जाता है। संग्रहित राशि के संग्रहण प्रभार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन (12 प्रतिशत पर) को देय होते हैं जिन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों से बनी निधि में से भी उपलब्ध कराया जाता है। शेष निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किया जाता है।

"National Highways Permanent Bridges Fee Fund" in the Public Accounts of India out of grants voted by Parliament. Collection charges payable to State Governments and Administration of Union Territories (at 12 percent) of the amount collected are also made out of fund by way of grants voted by Parliament. The balance in the Fund is utilised for development of National Highways.

वर्ष 2019–2020 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:–

The Account of the Fund for 2019-2020 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	274,03,75
प्राप्तियां	Receipts	10610,46,00
अदायगियां	Payments	10600,61,23
अंतशेष	Closing Balance	283,88,52